भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3114
दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं की कीमतों में वृद्धि

3114. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दवाओं की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;
(ख) कितनी दवाओं की कीमत बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है;
(ग) यदि हां, तो उक्त दवाओं का ब्यौरा और नाम क्या हैं; और
(घ) उन दवाइयों का ब्यौरा क्या है जिनकी कीमतें घटाई या कम की गई हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध विभाग (डीओपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में शामिल दवाओं का अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। अनुसूचित औषधियों के सभी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों की बिक्री एनपीपीए द्वारा नियत किए गए अधिकतम मूल्य (साथ ही लागू माल और सेवा कर) के भीतर करनी होती है। गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मामले में, विनिर्माता को अपने द्वारा शुरू की गई दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) नियत करने की स्वतंत्रता है। हालांकि, डीपीसीओ 2013 के अनुसार, कोई भी विनिर्माता गैर-अनुसूचित औषधि के एमआरपी में पिछले 12 महीनों के दौरान व्याप्त एमआरपी के 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है।

अनुसूचित औषधियों के अधिकतम मूल्यों को पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुओं) के आधार पर प्रति वर्ष 1 अप्रैल को या उससे पहले संशोधित किया जाता है। डब्ल्यूपीआई वृद्धि अनुसूचित औषधियों के लिए अधिकतम स्वीकार्य वृद्धि है और बाजार की गतिशीलता के आधार पर विनिर्माताओं द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है या नहीं भी उठाया जा

सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान डब्ल्यूपीआई के अनुसार दवाओं के अधिकतम मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है:

थोक मूल्य सूचकांक वर्ष-वार

क्र. सं.	वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक
1.	01.04.2021	0.53638%
2.	01.04.2022	10.76607%
3.	01.04.2023	12.1218%

(ख) और (ग): एनपीपीए को विभिन्न औषध विनिर्माण/विपणन कंपनियों और उद्योग संघों से फॉर्मूलेशन के संबंध में 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें उनके फॉर्मूलेशन के मूल्य में वृद्धि के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया गया था कि उत्पादन लागत में वृद्धि, सक्रिय औषधि सामग्री की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन, कुछ फॉर्मूलेशन को बंद करने का अनुरोध आदि जैसे कारणों से मौजूदा दरों पर इन औषधियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यवहार्य नहीं था। मूल्य संशोधन केवल 11 अनुसूचित फॉर्मूलेशनों अर्थात बेंज़िल पेनिसिलिन 10 लाख आईयू इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन 0.6 मिलीग्राम/एमएल, स्ट्रेप्टोमाइसिन 750 मिलीग्राम इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन 1000 मिलीग्राम इंजेक्शन, साल्बुटामोल 2 मिलीग्राम टैबलेट, साल्बुटामोल 4 मिलीग्राम टैबलेट, साल्बुटामोल 5 मिलीग्राम रेस्पेरेटरी सोल्यूशन, पिलोकार्पाइन 2% आई ड्रॉप, सेफैड्रोक्सिल टैबलेट 500 मिलीग्राम, इंजेक्शन के लिए डेसफेरिओक्सामाइन 500 मिलीग्राम पाउडर, लिथियम टैबलेट 300 मिलीग्राम के संबंध में किया गया था।

(घ): दिनांक 11.12.2024 की स्थिति के अनुसार, एनपीपीए द्वारा 926 अनुसूचित फॉर्मूलशनों का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 742 का अधिकतम मूल्य राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम), 2022 के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित किया गया है। एनएलईएम, 2022 के तहत मूल्यों के पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में कमी लगभग 16.82% है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 11.12.2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीसीओ 2013 में यथा परिभाषित लगभग 3,046 नई औषधियों का खुदरा मूल्य आवेदक विनिर्माता के लिए एनपीपीए द्वारा नियत किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत विशेष प्रावधानों का उपयोग करके औषधियों के मूल्य को विनियमित करने के लिए अन्य उपाय किए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं:

i. एनपीपीए ने वर्ष 2014 में एक ही औषधि के लिए विभिन्न ब्रांडों के मूल्यों में बड़े अन्तर होने के कारण 106 गैर-अनुसूचित औषधियों, जिनमें 22 मधुमेह और 84 हृदयवाहिका संबंधी औषधियां शामिल थीं, के अधिकतम खुदरा मूल्य पर अधिकतम सीमा निर्धारित की थी।

ii. रोगी केंद्रित उपाय के रूप में, अगस्त, 2017 में आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया था।

iii. फरवरी, 2019 में, 42 चुनिंदा कैंसर-रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के व्यापार मार्जिन को "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के तहत सीमित कर दिया गया, जिसमें 500 से अधिक ब्रांडों की दवाओं के मूल्य में औसतन लगभग 50 प्रतिशत की कमी की गई।

iv. जून, 2021 और जुलाई, 2021 में “व्यापार मार्जिन युक्तिकरण” दृष्टिकोण के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइज़र, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर का मूल्य निर्धारित कर दिया गया था।

एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्यों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

*****